न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या– 13 /2019/पत्थरगढी

1. भंवरलाल
2. मदनलाल
3. श्रीनारायण
4. रतनलाल
5. बंशीलाल
6. बजरंगलाल
7. अंकित

पुत्रगण स्व. रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासीगण सुरेरा (मंढा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 111, 118 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थिति–

1. श्री रेखराज पारीक वकील प्रार्थीगण की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 21.10.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ग्राम सुरेरा पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 337, 369, 370 किता 3 कुल रकबा 2.41 हैक्टर अवस्थित है जिसकी सीमा का ज्ञान तहसीलदार दांतारामगढ के आदेश सें पटवारी भारीजा द्वारा दिनांक 25.01.2019 को प्रार्थीगण को करवा दिया गया है। पटवरी भारीजा द्वारा करवाये गये सीताज्ञान पर प्रार्थीगण की कच्ची मिट्टी की डोलख जो सीमाज्ञान में सही स्थिति पर है उक्त सीमाज्ञान के बाद प्रार्थीगण अपनी उक्त निर्धारित सीता पर अपनी फसलों को जानवरों सें बचाने के लिए एवं सुरक्षा के लिए पक्की सीमा चिन्ह करवाना चाहते है अतः आवेदन पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर ग्राम सुरेरा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 337, 369, 370 किता 3 कुल रकबा 2.41 हैक्टर की पत्थरगढी करवायी जानी प्रार्थनीय है।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी तहसीलदार दांतारामगढ की ओर सें जवाब पेश किया गया। आवेदन बाबत पत्थरगढी पर बहस सुनी गई।

3. बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। **न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 111, 118 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सुरेरा की भूमि खसरा नम्बर 337, 369, 370 किता 3 कुल रकबा 2.41 हैक्टर की मुताबिक सीमाज्ञान नियमानुसार चारों ओर के पड़ौसी खातेदारों को सूचित कर पत्थरगढी करावें। तहसीलदार दांतारामगढ को पालना हेतु तहरीर जारी हो।**

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner